6. वर्णित नाला का लेवल पता करने तथा सैदनगर में स्थित पम्प हाउस एवं अंतिम बिन्दु एकमी में स्थित सम्प हाउस की उपयोगिता के संबंध में दिनांक– 06.09.2017 को संयुक्त जाँच दल द्वारा जाँच करायी जाय, जिसमें नगर निगम, दरभंगा, बुडको, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

7. नदी के तरफ पानी के निकास हेतु पूर्व से बने स्लूस गेट (Sluice gate), जो पूर्णतः बंद है, उसको नये सिरे से बनाने हेतु जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर वर्णित नाला के पानी के निकासी हेतु योजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जाय।

8. उक्त मामले से संबंधित अगली बैठक 15 दिनों के बाद पुनः रखी जायेगी, जिसमें जाँच प्रतिवेदन पर विचार कर आगे की कार्रवाई तय की जायेगी। उक्त बैठक में संबंधित विभागों को भी उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जाय।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

विश्वासभाजन,
2/9/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/ना०नि०–02–09/2017 5847 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04/09/17

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/नगर अभियंता, दरभंगा नगर निगम/परियोजना निदेशक, दरभंगा प्रक्षेत्र, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/ना०नि०–02–09/2017 5847 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04/9/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबध निदेशक, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त संयुक्त जाँच हेतु अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

2/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/ना०नि०–02–09/2017 5847 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04.9.17

प्रतिलिपिः– श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स०, दरभंगा विधान सभा क्षेत्र/महापौर, दरभंगा नगर निगम/उप महापौर, दरभंगा नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

2/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/ना०नि०–02–09/2017 5847 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04.9.17

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

आप्त

दिनांक– 01.09.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लहेरियासराय कर्पूरी चौक से सैदनगर तक जाने वाली पूर्व से निर्मित भू–गर्भीय नाला एवं सम्प हाउस के जीर्णोद्धार के लिए संभावित कार्य योजना पर विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

सर्वप्रथम श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० द्वारा बताया गया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लहेरियासराय कर्पूरी चौक से ~~सैदनगर तक~~ जाने वाली पूर्व से निर्मित भू–गर्भीय नाला एवं सम्प हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण नाला है, जिसके जीर्णोद्धार हो जाने से एक बहुत बड़ा क्षेत्र जल–जमाव से मुक्त हो जायेगी। बैठक में उपरोक्त वर्णित भू–गर्भीय नाला के जीर्णोद्धार हेतु विस्तृत चर्चा की गई। नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा एवं नगर अभियंता, नगर निगम, दरभंगा द्वारा उक्त नाले का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त बन्द पड़े भू–गर्भीय नाला को तोड़कर नये सिरे से सतही नाला निर्माण करना श्रेयस्कर नहीं है।

2. नगर अभियंता, दरभंगा नगर निगम द्वारा बताया गया कि उक्त नाले की कुल लम्बाई 8400 फीट है, जिसमें 6000 फीट की सफाई वित्तीय वर्ष 2004–05 में नगर निगम, दरभंगा द्वारा कराई गई थी। शेष बंद पड़े अवरूद्ध करीब 2400 फीट नाला, जो प्रिंस होटल से लोहिया चौक होते हुए सैदनगर पम्प हाउस तक है, की सफाई उस समय नहीं करायी जा सकी थी, जो वर्तमान में Non functional है। नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि चूँकि यह जटिल कार्य है अतः नगर निगम द्वारा दैनिक मजदूर की मदद से सफाई कराना कठिन है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि पटना नगर निगम में अहमदाबाद से हाई पावर का सक्शन मशीन मंगाया गया है। पटना नगर निगम से समन्वय स्थापित कर संवेदक से वार्ता कर उसका उपयोग किया जा सकता है। नाले की सफाई सम्प हाउस (अंतिम बिन्दु) के तरफ से करायी जाय।

3. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नगर निगम, दरभंगा को 14वें वित्त आयोग, पंचम् राज्य वित्त आयोग एवं सफाई मद में राशि आवंटित है, जिसका उपयोग नाला के सफाई के लिए किया जाय।

4. उक्त नाले के अंतर्गत सैदनगर से एकमी के बीच (पम्प हाउस एवं सम्प हाउस के बीच) खुले नाला का सफाई कराकर उसका लेबल जाँच करा लिया जाय ताकि लेबल का पता चल सके साथ ही दोनों सम्प हाउस की उपयोगिता भी स्पष्ट हो सके।

5. भू–गर्भीय नाले के मैनहोल को खोजकर नाले की सफाई करायी जाय। यदि मैनहोल नहीं हो एवं कहीं नाला को तोड़ने करने की आवश्यकता हो तो तोड़ कर सफाई के उपरांत नये सिरे से चेम्बर का निर्माण कराया जाय।